भारत सरकार
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1054
दिनांक 25 जुलाई, 2025 को उत्तर के लिए

आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और आंगनवाड़ी सहायिकाओं को लाभ

1054. डॉ. शशि थरूर:

क्या महिला और बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं (एडब्ल्यूडब्ल्यू) और आगनवाड़ी सहायिकाओं (एडब्ल्यूएच) को आधिकारिक तौर पर 'स्वयंसेवक' के रूप में वर्गीकृत किया गया है, जिन्हें 'मानदेय' मिलता है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इन आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और आगनवाड़ी सहायिकाओं को सरकारी कर्मचारियों के समान मातृत्व अवकाश, पेंशन और अन्य लाभ मिलते हैं और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या सरकार आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और आगनवाड़ी सहायिकाओं को सरकारी कर्मचारी मानने की योजना पर विचार कर रही है और यदि हाँ, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर
महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री
(श्रीमती सावित्री ठाकुर)

(क) से (ग): आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियां (एडब्ल्यूडब्ल्यू) और आंगनवाड़ी सहायिकाएं (एडब्ल्यूएच) स्थानीय समुदाय के "मानद कार्यकर्त्री" होती हैं, जो स्थानीय समुदाय की मदद के लिए बाल देखरेख और विकास के क्षेत्र में अपनी सेवाएं देने के लिए स्वेच्छा से आगे आती हैं, की गई सेवाओं के लिए उन्हें मानदेय का भुगतान किया जाता है। जिसमें समय-समय पर वृद्धि की जाती है। भारत सरकार ने दिनांक 1 अक्टूबर, 2018 से, केंद्र और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के बीच निर्धारित लागत साझाकरण अनुपात के अनुसार आंगनवाड़ी केंद्रों (एडब्ल्यूसी) में आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों का मानदेय 3,000

रुपये से बढ़ाकर 4,500 रुपये प्रति माह कर दिया है; लघु-आंगनवाड़ी केंद्रों में आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों का मानदेय 2,250 रुपये से बढ़ाकर 3,500 रुपये प्रति माह कर दिया है; आंगनवाड़ी सहायिकाओं का मानदेय 1,500 रुपये से बढ़ाकर 2,250 रुपये प्रति माह कर दिया है।

इसके अलावा, आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों को 500 रुपये और आंगनवाड़ी सहायिकाओं को 250 रुपये प्रति माह कार्य-निष्पादन आधारित प्रोत्साहन राशि भी प्रदान की जाती है। इसके अतिरिक्त, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र भी अपने संसाधनों से इन स्वैच्छिक कार्यकर्त्रियों को अतिरिक्त मौद्रिक प्रोत्साहन/टॉप-अप दे रहे हैं, जो राज्य दर राज्य अलग-अलग है।

मिशन सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 के तहत, आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों को कुशल निगरानी और सेवा प्रदायगी के लिए स्मार्टफोन उपलब्ध कराकर तकनीकी रूप से समर्थ बनाया गया है। पोषण ट्रैकर एक मोबाइल फोन एप्लीकेशन है, जिसमें आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों द्वारा उपयोग किए जाने वाले भौतिक रजिस्टरों का डिजिटलीकरण किया गया है। इससे उनके काम की गुणवत्ता में सुधार होता है और साथ ही वे आंगनवाड़ी केन्द्रों में चल रहे सभी कार्यकलापों की तत्समय (रियल टाइम) निगरानी करने में समर्थ होती हैं।

आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों और सहायिकाओं को प्रेरित और प्रोत्साहित करने के लिए विभिन्न पहल की गई हैं; जिनमें निम्नलिखित भी शामिल हैं:-

(i) अवकाश: एक वर्ष में 20 दिन का अवकाश और 180 दिनों का सवेतन मातृत्व अवकाश, गर्भपात
होने पर एक बार 45 दिनों का सवेतन अवकाश।

(ii) राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों से अनुरोध किया गया है कि वे पात्र आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों और सहायिकाओं को प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन (पीएम-एसवाईएम) पेंशन योजना के अंतर्गत स्वयं को नामांकित कराने के लिए प्रोत्साहित करें। यह योजना वृद्धावस्था सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए देश में असंगठित क्षेत्रों हेतु एक स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन योजना है।

(iii) पदोन्नति: मिशन सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 के तहत आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों के लिए पदोन्नति के अवसर बढ़ाए गए हैं। आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों के 50% पद 5 वर्ष का अनुभव रखने वाली आंगनवाड़ी सहायिकाओं द्वारा भरे जाने हैं तथा

पर्यवेक्षकों के 50% पद 5 वर्ष का अनुभव रखने वाली आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों की पदोन्नति द्वारा भरे जाने हैं, बशर्ते कि वे अन्य मानदण्डों को पूरा करती हों।

(iv) सामाजिक सुरक्षा बीमा योजनाएं: 18 से 50 वर्ष की आयु वर्ग की आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों और सहायिकाओं को प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई) के अंतर्गत 2.00 लाख रुपये का जीवन बीमा (जीवन जोखिम, किसी भी कारण से मृत्यु) और 18-59 वर्ष की आयु वर्ग की आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों और सहायिकाओं को प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अंतर्गत 2.00 लाख रुपये (दुर्घटना मृत्यु और स्थायी पूर्ण विकलांगता)/1.00 लाख रुपये (आंशिक लेकिन स्थायी विकलांगता) का दुर्घटना बीमा प्रदान किया गया है।

(v) सेवानिवृत्ति तिथि: राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों से अनुरोध किया गया है कि वे उचित मानव संसाधन नियोजन सुनिश्चित करने के लिए आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों और सहायिकाओं के संबंध में एक समान सेवानिवृत्ति तिथि अर्थात प्रत्येक वर्ष में 30 अप्रैल को अपनाएं।

(vi) वित्तीय वर्ष 2024-25 के बजट में सभी आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों और सहायिकाओं को आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी-पीएमजेएवाई) के तहत 5 लाख रुपये की वार्षिक स्वास्थ्य देखरेख कवरेज देने की घोषणा की गई है।

****